DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

7 September, 2024

भारत-मालदीव संबंध

संदर्भ: *एस. जयशंकर की हालिया माले यात्रा के बाद भारत और मालदीव ने रक्षा परियोजनाओं में तेजी लाने पर चर्चा की है।*

➢ **अवलोकन:**

- भारत और मालदीव में तनावपूर्ण संबंधों के बीच एस. जयशंकर की यात्रा के तुरंत बाद रक्षा परियोजनाओं में तेजी लाने पर चर्चा की गई।
- भारतीय रक्षा सचिव अरामने और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल प्रमुख जनरल हिल्मी की अगुवाई में 5वीं रक्षा वार्ता में द्विपक्षीय मामलों की व्यापक समीक्षा की गई।

➢ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**

- **मान्यता:** भारत ने 1965 में स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- **राजनयिक संबंध:** भारत ने 1980 में उच्चायुक्त की स्थापना की। मालदीव ने 2004 में नई दिल्ली में अपना उच्चायोग खोला।
- **1988 तख्तापलट का प्रयास** : सशस्त्र उग्रवादियों ने सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में मालदीव में तख्तापलट का प्रयास किया। भारत ने त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया दी और ऑपरेशन कैक्टस ने तख्तापलट को दबा दिया और पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल कर दी।

➢ **सामरिक महत्व:**

- **सुरक्षा:** क्षेत्रीय स्थिरता और भारतीय व्यापर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत क्वाड की प्रशांत रणनीति के साथ मालदीव के तालमेल का समर्थन करता है।
- **आर्थिक:** मालदीव की रणनीतिक स्थिति प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को प्रभावित करती है। भारत सतत समुद्री संसाधन प्रबंधन को महत्व देता है।
- **वैश्विक समर्थन:** मालदीव वैश्विक मंचों पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।
- **आतंकवाद विरोधी अभियान:** आतंकवाद निरोध में संयुक्त प्रयास; मालदीव भारत की आतंकवाद विरोधी पहल का समर्थन करता है।

➢ **व्यापार और आर्थिक संबंध**

- जून 2024 में, भारत ने $32.8 मिलियन का शेयर और $1.14 मिलियन का निवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप $31.7 मिलियन का सकारात्मक व्यापार संतुलन हुआ। जून 2023 और जून 2024 के बीच भारत का मूल्य $-3.16 मिलियन (-8.79%) प्रति व्यक्ति $36 मिलियन से $32.8 मिलियन हो गया है, जबकि मूल्य निर्धारण $-4.56 मिलियन (-79.9%) $5.71 मिलियन से $1.14 मिलियन हो गया है।
- **आयात** : मालदीव मुख्य रूप से भारत से स्क्रैप धातुओं का आयात करता है।
- **निर्यात** : भारत दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, चट्टानें, एग्रीगेट्स, सीमेंट सहित इंजीनियरिंग और औद्योगिक वस्तुओं के साथ-साथ चावल, मसाले, फल, सब्जियां और चिकन जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात करता है।
- **पर्यटन** : 4 मई, 2024 तक मालदीव में 43,991भारतीय पर्यटक, जनवरी से अप्रैल तक 42,638 भारतीय पर्यटक आए, जबकि 2023 में 73,785 भारतीय आए थे। अकेले जनवरी 2024 में 12,792 भारतीय मालदीव आए थे।

➢ **भारत द्वारा विकासात्मक और आपदा राहत सहायता:**

- **इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल (आईजीएमएच):** भारतीय सहायता से 1995 में स्थापित की गई।
- **इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संकाय (एफईटी):** तकनीकी/व्यावसायिक विषयों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 1996 में स्थापित किया गया।
- **आपदा राहत:** भारत ने 2004 की सुनामी के बाद राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और वित्तीय सहायता सहित अन्य सहायता प्रदान की थी।
- **ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी):** मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है जो माले को विलिंगिली, गुलहिफाल्हू और थिलाफुशी से जोड़ती है।
- **भारत का योगदान:** भारत द्वारा 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का सहयोग दिया गया जिसमें 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता शामिल है।

➢ **भारत और मालदीव सैन्य अभ्यास:**

- **एकुवेरिन** : पहली बार 2009 में आयोजित किया गया, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच यह एक वार्षिक अभ्यास है, जो आतंकवाद-रोधी, उग्रवाद-रोधी और चिकित्सा निकासी पर केंद्रित है।
- **दोस्ती** : भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास है। भारतीय और मालदीव तटरक्षकों ने पहली बार 1991 में यह अभ्यास किया था और श्रीलंका 2012 में इसमें शामिल हुआ था। आखिरी अभ्यास 2021 में आयोजित किया गया था।
- **एकाथा** : भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक अभ्यास है।

➢ **चीन की चिंता:**

- दक्षिण एशिया में चीन की "मोतियों की माला" रणनीति में मालदीव एक महत्वपूर्ण "मोती" है।
- ऐसी अटकलें हैं कि चीन हिंद महासागर में मालदीव के महत्वपूर्ण स्थान के कारण वहां रणनीतिक चौकियां स्थापित कर सकता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

संदर्भ*: हालिया एनएमसी पाठ्यक्रम, जिसने सोडोमी (गुदामैथुन), लेस्बियनिज़्म और ट्रांसवेस्टिज़्म को अपराध के रूप में वर्गीकृत किया था, को सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के आधार पर वापस ले लिया है।*

➢ **अवलोकन:**

- सरकार द्वारा एनएमसी के योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम जिसमें जिसमें सोडोमी, समलैंगिकता और ट्रांसवेस्टिज्म को गलत वर्गीकृत किया गया था को वापस लेना,एक गंभीर त्रुटि को सुधारता है।
- 31 अगस्त को प्रकाशित पाठ्यक्रम में गुदामैथुन, समलैंगिकता और विपरीत लिंग के कपड़े पहनने को यौन अपराध और विकृतियों के रूप में वर्गीकृत करने की व्यापक आलोचना की गई थी।
- **ट्रांसजेंडर परिभाषा:** इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल है जिनका लिंग जन्म के समय उनके निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता, जिनमें किन्नर, हिजड़ा जैसे अंतरलिंगी भिन्नताएं और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं।
- **2011 की जनगणना:** ट्रांसजेंडर आबादी को शामिल करने वाली पहली जनगणना, भारत में अनुमानित 4.8 मिलियन व्यक्ति है।

➢ **चुनौतियाँ:**

- **कानूनी संरक्षण:** कानूनी संरक्षण का अभाव शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल में हिंसा, उपेक्षा और हाशिए पर धकेले जाने को जन्म देता है।
- **गरीबी:** भेदभाव और कानूनी संरक्षण के अभाव के कारण उच्च बेरोजगारी और आवास की असुरक्षा।
- **उत्पीड़न और कलंक:** मानसिक बीमारी और विचलन के बारे में सामाजिक उपहास और गलत धारणाएं होना।
- **ट्रांसजेंडर विरोधी हिंसा:** दुर्व्यवहार और वेश्यावृत्ति, जो प्रायः परिवारों द्वारा की जाती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- **स्वास्थ्य देखभाल बाधाएँ:** स्वास्थ्य देखभाल तक न्यूनतम पहुंच और चिकित्सा पेशेवरों में योग्यता की कमी।

➢ **सुधारों की समय-सीमा:**

- **2009:** चुनाव आयोग ने लिंग पहचान के लिए "अन्य" को शामिल करने हेतु पंजीकरण प्रपत्रों में संशोधन किया।
- **2014:** सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में ट्रांसजेंडर को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी।
- **2014:** अप्रैल 2015 में राज्य सभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक पेश किया गया
- **2019:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया गया।

➢ **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:**

- **भेदभाव न करना:** शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सेवा और सेवाओं में भेदभाव पर रोक लगाता है।
- **मान्यता:** ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट से पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- **राष्ट्रीय परिषद:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद (एनसीटी) की स्थापना की गई।
- **निवास का अधिकार:** यह सुनिश्चित करता है कि लिंग पहचान के कारण परिवार से जबरन अलग न होना पड़े।
- **स्वास्थ्य देखभाल अधिकार:** इसमें पृथक एचआईवी केन्द्रों और लिंग परिवर्तन सर्जरी के प्रावधान शामिल हैं।
- **दंडात्मक प्रावधान:** इसमें भीख मांगना, जबरन श्रम कराना, सार्वजनिक स्थान के उपयोग से मना करना तथा विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार को अपराध माना गया है।

➢ **अधिनियम से संबंधित चुनौतियाँ:**

- **परिभाषा संबंधी मुद्दे:** लिंग की उचित परिभाषा और आत्मनिर्णय का अभाव।
- **आरक्षण:** सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं।
- **भीख मांगने का अपराधीकरण:** भीख मांगने पर निर्भर रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक सहायता प्रदान करने में विफल है।
- **उत्पीड़न:** ट्रांसजेंडर लोगों को सशक्त व्यक्तियों के बजाय पीड़ितों के रूप में देखा जाता है।
- **वैवाहिक अधिकार:** विवाह, तलाक और गोद लेने के अधिकारों के अनसुलझे मुद्दे है।
- **निवास की स्वतंत्रता:** निवास की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, संवैधानिक अधिकारों के साथ संघर्ष करता है।

➢ **सरकारी पहल:**

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:** गैर-भेदभाव और पहचान मान्यता के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:** प्रमाण-पत्रों और पहचान पत्रों के लिए डिजिटल आवेदन की सुविधा देता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
- **आश्रय गृह:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले आश्रय गृह स्थापित करना।
- **जेल मान्यता:** ट्रांसजेंडर कैदियों की गरिमा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया गया।

सिविल सेवा आचरण नियम

संदर्भ: *अपर सियांग के डीसी ने सियांग एसयूएमपी विरोध प्रदर्शन पर कर्मचारियों को सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के संभावित उल्लंघन के आधार पर चेतावनी दी हैं।*

➢ **अवलोकन:**

- राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) इस परियोजना पर काम कर रहा है, जिसका स्थानीय लोग, मुख्यतः आदि समुदाय, विरोध कर रहे हैं।
- यह प्रदर्शन 30 अगस्त को सियांग के पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत के बाद किया गया, जिसमें एनएचपीसी पर पीएफआर को जबरन लागू करने का आरोप लगाया गया था।
- अतः अब उन्हें कारण बताना होगा कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत अवज्ञा के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

➢ **सिविल सेवाएं क्या हैं?**

- सिविल सेवा सरकारी अधिकारियों का एक समूह है जो नागरिक भूमिकाओं में काम करते हैं जो राजनीतिक या न्यायिक नहीं होती हैं। अखिल भारतीय सेवाएँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 द्वारा शासित होती हैं।
- **सिविल सेवकों के लिए आचरण नियम:** सिविल सेवकों के लिए आचरण नियम, सिविल सेवाओं में कार्यरत लोगों के व्यवहार के मानकों के लिए नियमों का समूह है।
- **शासन नियम:**
  - **अखिल भारतीय सेवाएं (एआईएस) आचरण नियम, 1968**
  - **केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) आचरण नियम, 1964**
  - यह 1962 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा स्थापित **के. संथानम समिति** की सिफारिशों पर आधारित।
- **प्रतिबंध:**
  - **अस्पष्ट नियम:** नियम 3(1) के अनुसार कार्य " **सेवा के सदस्य के अनुरूप** " होने चाहिए, जिसे व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है।
  - **राजनीतिक तटस्थता:** नियम 5(1) राजनीतिक दलों के साथ भागीदारी पर रोक लगाता है; व्यक्तिगत विश्वास की अनुमति है लेकिन सक्रियता प्रतिबंधित है।
  - **व्यक्तिगत राय:** नियम 7 मीडिया के माध्यम से सरकारी गतिविधियों की प्रतिकूल सार्वजनिक आलोचना को प्रतिबंधित करता है।
  - **दहेज:** यह एआईएस नियमों के नियम 11(1-ए) के तहत सख्ती से प्रतिबंधित है।
  - **उपहार:** नियम 11(1) के अनुसार 25,000 रुपये से अधिक के किसी भी उपहार की सूचना सरकार को देना आवश्यक है।
- **नये जोड़े गए नियम:**
  - **1979:** वरिष्ठों के निर्देश लिखित रूप में होने चाहिए।
  - **1998:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
  - **2015:** उपहारों की सूचना देने की सीमा 25,000 रुपये तय की गई।
- **दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी)**
  - श्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में 2005 में गठित जांच आयोग का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करना था।

- इसने सरकार को 15 रिपोर्टें सौंपी जिनमें आरटीआई , शासन में नैतिकता, स्थानीय शासन, आतंकवाद, लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस, वित्तीय प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्र शामिल थे।

- **दंड:**
  - अनुपालन न करने पर बड़ा या छोटा दंड लगाया जा सकता है।
  - प्रमुख दंडों में सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता

हाल ही में, भारतीय व्यापार और व्यावसायिक परिषद दुबई ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ मिलकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए एक समारोह आयोजित किया।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बारे में:

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) भारत और अन्य देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को कवर करता है।
- भारत-यूएई सीईपीए पर फरवरी 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह मई 2022 में लागू हुआ।
- सीईपीए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, कौशल विकास को बढ़ावा देता है और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करता है।
- यह समझौता भारत को यूएई में विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण और चिकित्सा उपकरणों जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करता है।
- CEPA के कार्यान्वयन के बाद से, भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 15% की वृद्धि हुई है, इसमें ऊर्जा-केंद्रित व्यापार से गैर-तेल क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है, जिसमें 2023-2024 वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-तेल व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है।
- भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर भी हस्ताक्षर किए हैं

अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल

आर्यभट्टहाल ही में, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि-4 का सफल प्रक्षेपण किया है।

अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में:

- अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) है।
- यह प्रक्षेपण सामरिक बल कमान (SFC) के तत्वावधान में किया गया था और सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को मान्य किया गया था।
- अग्नि श्रृंखला में भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की, परमाणु-सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जिनमें रणनीतिक लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए अलग-अलग रेंज हैं।
- ये मिसाइलें भारत की परमाणु निरोध रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक हैं और इन्हें इसकी रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अग्नि-प्राइम मिसाइल परीक्षण:

- अप्रैल 2024 में, भारत ने ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- मिसाइल ने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया, जिससे इसके विश्वसनीय प्रदर्शन की पुष्टि हुई और भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रदर्शन हुआ।
- यह परीक्षण सामरिक बल कमान (एसएफसी) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

येत्तिनाहोले परियोजना

आर्यभट्टहाल ही में, कर्नाटक के हासन जिले के हेब्बानहल्ली में येत्तिनाहोले पेयजल आपूर्ति परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया।

येत्तिनाहोले परियोजना के बारे में:

- येत्तिनाहोले एकीकृत पेयजल आपूर्ति परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई एक बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति पहल है।
- इसका उद्देश्य कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराना है, जिससे मुख्य रूप से कोलार और चिकबल्लापुर जिलों को लाभ होगा।
- परियोजना का उद्देश्य 24.01 tmcft पानी का उपयोग करना भी है, जिसमें से 14.056 tmcft पानी विशेष रूप से पेयजल उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया है।
- येत्तिनाहोले और अन्य धाराओं सहित पश्चिमी घाटों से धाराओं का दोहन करके पानी प्राप्त किया जाता है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में सालाना औसतन 19 tmcft पानी उपलब्ध है।
- इस परियोजना से हासन, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु, चिकबल्लापुर, कोलार, बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर सहित सात जिलों को लाभ होगा।
- परियोजना की कुल लागत ₹23,251 करोड़ है और इसके 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- परियोजना का क्रियान्वयन विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड (वीजेएनएल) द्वारा किया जा रहा है, जो जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

आईएनएस तबर

भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत आईएनएस तबर ने भूमध्य सागर में भारत-फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लिया।

आईएनएस तबर के बारे में:

- आईएनएस तबर भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे 19 अप्रैल, 2004 को सेवा में शामिल किया गया था।
- आईएनएस तबर को पनडुब्बी रोधी, विमान रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इस फ्रिगेट का निर्माण रूस द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिस्की ज़ावोड शिपयार्ड में भारत और रूस के बीच एक अनुबंध के तहत किया गया था।
- इस फ्रिगेट में कामोव का-31 या एचएएल ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए एक डेक है, जो टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध में सहायता करता है।
- यह स्टील्थ तकनीक से लैस है, जो रडार और अन्य निगरानी प्रणालियों द्वारा इसका पता लगाने को कम करने में मदद करता है।
- यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, शिटल-1 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एके-630 क्लोज-इन हथियार प्रणाली और सतह के लक्ष्यों के लिए 130 मिमी मुख्य बंदूक सहित उन्नत हथियारों से लैस है।

POINTS TO PONDER

- तमिलनाडु की निचली पलानी पहाड़ियों में पाई जाने वाली नई पहचान की गई मकड़ी की प्रजाति का नाम क्या है? – **कैरोटस पाइपरस**
- उस योजना का नाम क्या है जिसका दूसरा कोहोर्ट हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव द्वारा उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया था? – **समृद्ध योजना**
- हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? – **विज़ियोनेक्स्ट (VisioNxt)**
- अरब जगत के किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक पूरा किया? – **संयुक्त अरब अमीरात**
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज 7 सितंबर 2024 को बिहार के किन जिलों में दो नए सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे? – **दरभंगा और मुजफ्फरपुर**